बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

दिनांक 28.03.2019 को अपराह्न् 12:30 बजे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सत्र 2019–20 में नवस्थापित संस्थानों के संचालन एवं सभी संस्थानों की गुणवत्ता अभिवृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2019–20 की कार्य योजना के विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

---

1. उपस्थिति संलग्न।

2. बैठक में व्यापक विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

2.1 सभी संस्थानों द्वारा उनके महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ यथा छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास, छात्रावास की प्रवेश क्षमता, परिवहन की सुविधा, वर्त्तमान में संचालन स्थान एवं संस्थान का फोटोग्राफ, संस्थान पहुँचने के लिये सड़क एवं रेल मार्ग की सूचना, शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क इत्यादि के संबंध में विस्तृत विवरणीसंबंधित संस्थान, बी० सी० ई० सी० ई० बी० एवं विभाग के बेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय ताकि छात्रों/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को संस्थान के चयन में निर्णय लिये जाने में कठिनाई नहीं हो।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान)

2.2 प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय को स्पष्ट कर दिया जाय कि छात्रों/छात्राओं द्वारा पूर्ण रूप से विचार कर हीं ऑनलाइन कॉउन्सेलिंग में संस्थान एवं शाखा का विकल्प दिया जाय। छात्रों/छात्राओंद्वारा ऑनलाइन कॉउन्सेलिंग में दिये गये विकल्प को उनके मेधा के आधार पर संस्थान एवं शाखा का आवंटन किया जायेगा। ऑनलाइन कॉउन्सेलिंग समाप्त होने के पश्चात् उन्हें आवंटित संस्थान एवं शाखा का परिवर्त्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

(कार्रवाई :– विशेष सचिव–सह निदेशक/उप निदेशक (त0), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

2.3 छात्रावास की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राचार्य स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक आदि के लिये निर्मित छात्रावास में सीट की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संस्थान के छात्रों/छात्राओं के आवासन हेतु यथोचित कार्रवाई करेंगे। उक्त विकल्प नहीं रहने पर संस्थान के द्वारा छात्रों एवं छात्राओं के लिये स्थानीय निजी संचालकों द्वारा संचालित छात्रावास की एक समेकित सूची बनाकर छात्रों/छात्राओं एवं अभिभावकों को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/विशेष सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

2.4 कुछ प्राचार्यों द्वारा यह बताया गया कि शहर से संस्थान की दूरी अधिक रहने के कारण संस्थान के आस–पास उचित रूप से आवासन की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों/छात्राओं एवं अन्य कर्मियों को संस्थान आने–जाने में काफी कठिनाई होती है। बैठक में यह निदेश दिया गया कि प्राचार्य एक पूर्ण प्रस्ताव विभाग को समर्पित करें तथा श्री कुमार सुरेन्द्र, उप निदेशक (यो0) उसे तुरंत प्रस्तुत करेंगे।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/उप निदेशक (यो), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

2.5 कतिपय प्राचार्यो द्वारा उनके संस्थानों में भवनादि की कमी बतायी गयी। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला इत्यादि हेतु एक प्रस्ताव विभाग को समर्पित करें जिसके आधार पर तात्कालिक व्यवस्था के अंत्तर्गत पोर्टेबल केबिन का निर्माण कराया जाएगा।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/उप निदेशक (यो), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

2.6 संस्थान के प्राचार्यों द्वारा प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, सहायकों, सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी, आई० टी० ब्याय आदि की अत्यन्त कमी या आवश्यकता से कम होने के फलस्वरूप संस्थान के संचालन में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। इस संबंध में यह निदेश दिया गया कि एप्रेन्टीशीप योजना हेतु निर्गत विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षुओं को रखा जाय।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/संयुक्त निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

2.7 वर्ष 2019–2020 में छात्रों/छात्राओं के प्रवेश हेतु कॉउन्सेलिंग केन्द्रीकृत रूप में अथवा संस्थानवार अथवा क्षेत्रवार किये जाने के संबंध में भी एक समिति गठित की जाय।

(कार्रवाई :– विशेष सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

2.8 नव स्वीकृत संस्थानों के यंत्र–संयत्र उपकरण, पुस्तक, उपस्कर, कम्प्युटर आदि ससमय एवं गुणवत्ता के मामले में एकरूपता के साथ क्रय एक साथ करने का सुझाव संस्थान के प्राचार्यो द्वारा दिया गया। उक्त के आलोक में निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा समिति गठित कर अनुशंसा प्राप्त किया जाय।

(कार्रवाई :– उप निदेशक (यो), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/विशेष सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

3 **वर्ष 2019–2020 की कार्य योजना के संबंध में**

3.1 अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों की प्रवेश क्षमता में यथासंभव वृद्धि किये जाने एवं नये पाठयक्रमों को आरंभ किये जाने हेतु विभाग स्तर पर एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई :– विशेष सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

3.2 शिक्षकों के साथ–साथ प्रयोगशाला/कर्मशाला, सहायकों एवं तकनीशियनों की दक्षता में अभिवृद्धि एवं उनके कौशल तथा ज्ञान को अद्यतन किये जाने हेतु समुचित प्रशिक्षण एन०आई०टी०टी०टी०आर०/टूलरूम सेन्टर/अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा कराया जाय। सभी प्राचार्य अपने कर्मियों एवं उन्हें जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि सूची विभाग को समर्पित करेंगे जिसपर समेकित रूप से निर्णय लिया जा सकेगा।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/संयुक्त निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

3.3 संस्थान के प्राचार्यों का यह भी सुझाव था कि 05 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 05 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों को प्रयोगशाला एवं कर्मशाला के मामले में सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स के रूप में विकसित किया जाय ताकि समय–समय पर अन्य संस्थान के संबंधित कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

(कार्रवाई :– संयुक्त निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

3.4 संस्थान के प्राचार्यों को यह निदेश दिया गया कि विभाग के विभागाध्यक्षों को भी एक आवश्यक सीमा तक नियमानुसार वित्तीय शक्ति प्रदान किया जाय ताकि पठन–पाठन/कार्यशाला/प्रयोगशाला इत्यादि हेतु आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्रियाँ एवं मरम्मति का कार्य सुचारू रूप से हो सके एवं पठन–पाठन का कार्य बाधित नहीं हो। साथ ही विभागाध्यक्षों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि उनके विषय के वर्ग कार्य, कार्यशाला, प्रयोगशाला इत्यादि को सुचारू रूप से संचालन किये जाने की जिम्मेवारी उनकी होगी।

(कार्रवाई :– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/विशेष सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

3.5 प्रत्येक संस्थान विभागीय स्टाफ नार्म्स के अनुसार ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट पदाधिकारी को नामित कर उनके ई–मेल एवं मोबाईल नं० की सूचना के साथ विभाग को सूचित किया

जाय। साथ ही ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट पदाधिकारी को प्राचार्यो द्वारा यह निदेश दिया जाय कि छात्रों/छात्राओं के नियोजन प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप, परियोजना एवं छात्रों/छात्राओं से संबंधित अन्य प्रशिक्षण तथा नियोजन की जानकारियाँ उनके द्वारा **सिंगल प्वाईट ऑफ कॉन्टेक्ट** के रूप में दिया जाना अपेक्षित होगा।

(कार्रवाई :— सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान/विशेष सचिव—सह—निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

ह०/—

(हरजोत कौर बम्हरा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वि० प्रा० (v) बैठक – 10/19 1212 /पटना, दिनांक : 8.4.2019

प्रतिलिपिः सभी विभागीय पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार, पटना/सभी प्राचार्यो/प्रभारी प्राचार्यो, वर्त्तमान एवं नवस्थापित तकनीकी संस्थानों/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/4/19

विशेष सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक : वि० प्रा० (v) बैठक – 10/19 1212 /पटना, दिनांक 8.4.2019

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/4/19

विशेष सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग